

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर

// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27/09/2022

क्रमांक एफ 1-34/2022/मबावि/50:: राज्य शासन एतदद्वारा विभाग अंतर्गत पदस्थ निम्नांकित सहायक ग्रेड-03 को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 05 में दर्शित रथल पर रथानांतरित कर, अरथाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रथानांतरण का आधार
1	2	3	4	5	6
1	विजेन्द्र गजेन्द्र	सहायक ग्रेड-03	एकीकृत वाल विकास परियोजना भानुप्रतापुर, जिला-कांकेर	एकीकृत वाल विकास परियोजना धमतरी शहरी, जिला-धमतरी	प्रशासकीय
2	आनन्द दुवे	सहायक ग्रेड-03	कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला-विलासपुर	एकीकृत वाल विकास परियोजना वलरामपुर, जिला-वलरामपुर	प्रशासकीय
3	धनेन्द्र सोरी	सहायक ग्रेड-03	कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला-कवीरधाम	एकीकृत वाल विकास परियोजना गरियावंद, जिला-गरियावंद	प्रशासकीय
4	जगदीश प्रसाद शुक्ला	सहायक ग्रेड-03	एकीकृत वाल विकास परियोजना सीपत, जिला-विलासपुर	एकीकृत वाल विकास परियोजना साजा, जिला-वेमेतरा	प्रशासकीय
5	चन्द्रप्रकाश यादव	सहायक ग्रेड-03	एकीकृत वाल विकास परियोजना विल्हा, जिला-विलासपुर	एकीकृत वाल विकास परियोजना मनोरा, जिला-जशपुर	प्रशासकीय
6.	धीरेन्द्र पुजारी	सहायक ग्रेड-03	एकीकृत वाल विकास परियोजना -भोपालपट्टनम जिला-वीजापुर	एकीकृत वाल विकास परियोजना सुकमा, जिला-सुकमा	प्रशासकीय
7	समय लाल मरावी	सहायक ग्रेड-03	कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला-मुंगेली	क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संरथान, विलासपुर	प्रशासकीय
8	अभिनव कुमार रथी	सहायक ग्रेड-03	प्रशिक्षण संरथान डिमरापारा, जगदलपुर	परियोजना भिलाई 02 जिला-दुर्ग	प्रशासकीय
9	अजय कुमार	सहायक ग्रेड-03	एकीकृत वाल विकास परियोजना-ओडगी, जिला-सूरजपुर	एकीकृत वाल विकास परियोजना उदयपुर, जिला-सारगुजा	प्रशासकीय
10	ममता ठाकुर	सहायक ग्रेड-03	क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संरथान, विलासपुर	एकीकृत वाल विकास परियोजना सीपत, जिला-विलासपुर	प्रशासकीय
11	जयेश वैष्णव	सहायक ग्रेड-03	जिला कार्यकर्ता अधिकारी कार्यालय, जिला-कोरवा	क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संरथान, विलासपुर	प्रशासकीय

2/ उक्त रथानांतरण/पदस्थापना हेतु रथानांतरण नीति वर्ष 2022 का पालन किया गया है।

(✓)

2....

3/ उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन पदस्थापना स्थान पर आदेश जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करें। उक्त समयावधि के भीतर भारमुक्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी स्वमेव भारमुक्त माने जायेंगे। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

4/ स्थानांतरित कर्मचारियों में से यदि कोई वर्तमान पदस्थापना स्थल-जिला में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

5/ संबंधित कर्मचारी यदि उक्त स्थानांतरण आदेश से व्यक्ति हो, तो वह आदेश जारी तिथि से 15 दिवस के भीतर, शासन द्वारा गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के संयोजक एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को अपना अभ्यावेदन 02 प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है।

6/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(पोषण चन्द्राकर)

विशेष सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग  
अटल नगर, दिनांक 27/09/22

पृ. क्र.एफ 1-34/2022/मबावि/50

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर।
2. विशेष सहायक, मारो मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, जिला-रायपुर (छ.ग.)।
3. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय।
5. संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, इन्द्रावती भवन, अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.)।
6. समस्त संभागीय आयुक्त-..... (छ.ग.)।
7. समस्त कलेक्टर, जिला-..... (छ.ग.)।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-..... (छ.ग.)।
9. जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला-.....
10. उप संचालक क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान ..... (छ.ग.)।
11. परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना-  
जिला- ..... (छ.ग.0)।

3.....

//3//

12. संबंधित कर्मचारीगण

पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।  
कृपया नवीन  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

13. आदेश फोल्डर।

  
विशेष सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
 महिला एवं बाल विकास विभाग